

627

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग
क्रमांक प.३ (1192) / नविदि / ३ / २०१०

जयपुर, दिनांक २४ JAN 2013

आदेश

विषय :- प्रशासन गांव के संग अभियान-2013 के शिविरों में नगरयोग्य सीमाओं (Urbanisable limits) में समिलित ग्राम पंचायतों के गांव में सार्वजनिक उपयोग, सरकारी विभागों एवं आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायतों को भूमि आवंटन बाबत

राज्य सरकार द्वारा दिनांक १० जनवरी, २०१३ से २८ फ़रवरी, २०१३ तक प्रशासन गांव के संग अभियान-2013 चलाया जा रहा है। अभियान में शहरी क्षेत्रों में जो गांव समिलित किये गये हैं उनमें सरकारी विभागों/कार्यालयों/संस्थाओं, सार्वजनिक उपयोग के कार्यों तथा जनसंख्या के अनुपात में आबादी विस्तार हेतु भूमि का आवंटन भी ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित किये जा रहे शिविरों के दौरान ही किया जाना है।

विभाग द्वारा मंत्रिमण्डल के अनुमोदन के पश्चात् प्रशासन द्वारों के संग अभियान-2012 के लिए विभाग के आदेश क्रमांक प.३(५४)नविदि/३/२०११ दिनांक १७ अक्टूबर, २०१२ से जारी किये गये दिशा-निर्देशों में के बिन्दु संख्या २१ पर ग्राम पंचायतों को पट्टा देने की अधिकारिता बाबत निम्नानुसार प्राकघान किये गये हैं :-

१. न्यास/प्राविकरण व नगर पालिकाओं के मास्टर प्लान ने दर्शाएँ गये पारिधीय क्षेत्र में अवस्थित ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत मुख्यालय बनाए ग्राम में वर्तमान आबादी क्षेत्र, जैसा कि राजस्व नक्शों में दर्शाया हुआ है, की ५०० मीटर तक की परिधि में तथा पंचायत के अन्य ग्रामों में आबादी क्षेत्र, जैसा कि राजस्व नक्शों में दर्शाया हुआ है से २०० मीटर तक की सीमा में आबादी विस्तार एवं अन्य सार्वजनिक सुविधाओं यथा विद्यालय, चिकित्सालय आदि के लिए आबादी भूमि/हस्तान्तरित सिवायक भूमियों पर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम: १९९४ के अन्तर्गत पट्टा दिये जाने की अधिकारिता दी जाती है।
२. उक्त प्रयोजनार्थ पंचायतों को जोधपुर रीजन में जयपुर दिक्षास प्राविकरण द्वारा जोधपुर रीजन में जोधपुर विकास प्राविकरण तथा अन्य क्षेत्रों में जिला कलकट्टर द्वारा पंचायतों को भूमि उपलब्ध कराई जायेगी।
३. नगरीयकरण सीमा/पारिधीय क्षेत्र में ग्राम पंचायतों के लिए निर्धारित की गयी सीमा के भीतर भूमि का आवंटन ग्राम पंचायतों द्वारा ही किया जा सकेगा। नगरीय निकालों को ग्राम पंचायतों के लिए आशक्ति की गयी भूमि पर आवंटन का अधिकार नहीं होगा।

उपरोक्त निर्देशों के बिन्दु संख्या १ में वर्णित उद्देश्यों के लिए "प्रशासन गांव के संग अभियान-2013" के दौरान ग्राम पंचायतों द्वारा भूमि आवंटन करने

हेतु ग्राम पंचायतों को बिन्दु संख्या 2 के अनुसार भूमि (प्राधिकरण/न्यास/स्थानीय निकाय के नाम दर्ज एवं सिवायचक जैसी भी स्थिति हो) आवंटित करने के लिए निम्नानुसार कमेटी का गठन किया जाता है :-

1. प्राधिकरण का उपायुक्त, यदि न्यास एवं स्थानीय निकाय है तो सचिव एवं मुख्य नगर पालिक अधिकारी
2. सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी
3. सम्बन्धित उप नगर नियोजक या सहायक/कानेष्ठ अभियन्ता नगर पालिका के प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी समिति का अध्यक्ष होगा एवं मुख्य नगर पालिक अधिकारी सदस्य रहेंगे।

सामेत द्वारा शमशान एवं कब्रिस्तान आदि के लिए भूमि का चिन्हिकरण एवं आरक्षण भी किया जावेगा।

उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

(गुरदयाल सिंह संघु)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
6. समस्त संदाग्रीय आयुक्त, राजस्थान।
7. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण
8. समस्त कलक्टर, राजस्थान।
9. युख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर
10. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर
11. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त)
12. मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम, जयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर
13. संघ शासन सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) नवीनि/राजस्थान
14. उप नगर नियोजक/उप विधि प्रामर्शी, नवीनि, राजस्थान, जयपुर

उप शासन सचिव-तृतीय
रुक्मि ५/१/२०१३